संख्या- 54 / 2016/ 293 /चार-2016-26 (वि)/2016

प्रेषक,

तुलसी राम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 09 मार्च , 2016

विषयः- दिनांक 13 मार्च,2016 ग्राम-औंग , तहसील बिन्दकी , फतेहपुर में श्री अग्निहोत्री बन्धु, लखनऊ के कार्यक्रम हेतु धनराशि रू0 60,000/- की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3313/सं0नि-15(1)/2015-16-5 , दिनांक 29 फरवरी , 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 13 मार्च,2016 ग्राम-औंग , तहसील बिन्दकी , फतेहपुर में श्री अग्निहोत्री बन्धु, लखनऊ के कार्यक्रम हेतु धनराशि रू0 60,000 /- (रूपये साठ हजार मात्र) की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कुल धनराशि रू0 60,000 /- (रूपये साठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त धनराशि रू0 60,000 /- (रूपये साठ हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 001-निदेशन एवं प्रशासन-03- संस्कृति निदेशालय-42- अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(तुलसी राम)
विशेष सचिव।

संख्या- 54 / 2016 /293 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/